

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
क्रमांक:एफ4()परावि/पी.सी./आदर्शग्राम/06/1219 जयपुर,दिनांक: 24-06-2007
प्रशासनिक स्वीकृति
(नये कार्यो के लिए)

"दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना" के अन्तर्गत जिला परिषदों के पत्रांक 4123 दिनांक 7.5.2007 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार वर्ष 2007-08 में सम्पादित काराये जाने वाले निम्नांकित कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(अ) जिला:- भीलवाडा

(ब) गांव का नाम:- खारीकालाम्बा पंचायत का नाम:- खारीकालाम्बा पंचायत समिति:- हुरडा

(स) गांव के चयन की तिथि 18-1-2007

(राशि रु. लाखों में)

क्र.स.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि		
		कुल	DDUAG Y मद से (90%)	दिशा निर्देश के पैरा 2.5 के अनुसार श्रमदान अथवा जन सहयोग (10%)
1	धरमी तालाब की पाल पर स्नानगृह महिलाओ के लिये	2.50	2.25	0.25
2	धरमी तालाब की पाल पर स्नानगृह पुरुषो के लिये	2.50	2.25	0.25
3	पशु चिकित्सालय भवन 600 स्क्वा.फीट पर निर्माण कार्य एवं बाउड्री वाल	5.00	4.50	0.50
4	प्रा.वि. खारीकालाम्बा में 2 कमरो का निर्माण	5.00	4.50	0.50
5	ग्राम में नालियो का निर्माण 1000 मी.	2.50	2.25	0.25
6	आई.ई.सी.	0.50	0.50	-
	योग	18.00	16.25	1.75

उपरोक्त कार्यो के क्रियान्वयन में निम्न शर्तों का पालन किया जायेगा :-

- 1- तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार जारी करने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जावेगा।
- 2-ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2004 में निर्दिष्ट मापदण्डों एवं व्यवस्थाओं तथा योजना के प्रावधानों की पालना करते हुये ही कार्य का सम्पादन किया जावेगा।
- 3- आई.ई.सी. गतिविधि का सम्पादन जिला स्तर से निर्धारित एन.जी.ओ. द्वारा किया जावेगा।

(खेमराज)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

- 1- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, भीलवाडा।
- 2- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हुरडा (भीलवाडा)।
- 3- सरपंच, ग्राम पंचायत, खारीकालाम्बा पंचायत समिति हुरडा (भीलवाडा)।

शासन सचिव एवं आयुक्त